भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 138
(जिसका उत्तर सोमवार, 1 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947(शक) को दिया जाना है)

काला धन

138. श्रीमती माला रायः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार कितना काला धन वापस लाया गया है; और

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान देश से वर्ष-वार कुल कितना काला धन बाहर ले जाया गया है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) आयकर अधिनियम, 1961 या काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 में 'काला धन' के रूप में कोई अभिव्यक्ति नहीं है। काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 दिनांक 1 जुलाई, 2015 को लागू हुआ। दिनांक1 जुलाई, 2015 से 30 सितंबर, 2015 तक काले धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन तीन महीने की एक कालिक अनुपालन अवधि में 684 आय से संबंधित प्रकटीकरण किए गए, जिनमें 4164 करोड़ रुपये की अघोषित विदेशी, परिसंपत्तियाँ का खुलासा किया गया। ऐसे मामलों में कर और जुर्माने के रूप में एकत्र की गई राशि लगभग 2476 करोड़ रु. है। तथापि, दिनांक 30.08.2025 तक काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन 1087 आकलन पूरे किए जा चुके हैं जिससे 40,564 करोड़ रु. से ज़्यादा की कर उगाही और जुर्माने की मांग हुई। इसके अलावा, दिनांक 01.07.2015 से 30.06.2025 तक काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन की गई कर/जुर्माना/ब्याज की मांग के एवज में 339 करोड़ रु. की उगाही हुई है।

(ख) पिछले दस वर्षों के दौरान हमारे देश से बाहर भेजी गई अघोषित आय की राशि के बारे में कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है।

******